कार्यालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां, जिला बारां (राज0)

क्रमांकः– स्टेनो / प्रशा. / 2026 / 15 दिनांक :– 20.05.2026

–:: संशोधित कार्यालय आदेश ::–

मैं अनिल पारवानी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां एतद्द्वारा धारा 12 व 13 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए और श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां से प्राप्त मौखिक निर्देश के आधार पर रिमाण्ड ड्यूटी बाबत इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांकः– स्टेनो / प्रशा. / 2026 / 12 दिनांक 27.04.2026 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न तिथि में आवश्यक प्रकृति के दाण्डिक कार्य जैसे बेल, रिमाण्ड, सुपुर्दगी, मृत्युकालिन कथन, प्रोटोकॉल आदि कार्य हेतु, निम्न न्यायिक अधिकारी की ड्यूटी उनके मुख्यालय पर लगता हूँ, जो अपने पदस्थापन मुख्यालय पर उपस्थित रहकर संबंधित ब्लॉक में स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से संबंधित उपरोक्त आवश्यक कार्य का सम्पादन करेंगे।

क्र0 सं0	दिनांक	पीठासीन अधिकारी का नाम	मुख्यालय का नाम	मोबाईल नं0
01	03.05.2026	श्री अनिल पारवानी	अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां	मो0नं0–9982269996
02	09.05.2026 10.05.2026	शाहिस्ता लोधी	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अटरू	मो0नं0–9529155244
03	17.05.2026	श्री दिव्य मोहन गुप्ता	ग्राम न्यायालय अटरू	मो0नं0–8112259184
04	23.05.2026 24.05.2026	श्री अभय बंसल	न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां	मो0नं0–6378542402
05	28.05.2026	श्री लोकेन्द्र चौधरी	न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगंज	मो0नं0–9413203697
06	31.05.2026	श्री अनिल पारवानी	अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मांगरोल	मो0नं0–9982269996

नोटः–

1. प्रत्येक उक्त न्यायिक अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह उक्त तिथियों पर अपने मुख्यालय पर उक्त कार्य के निष्पादन हेतु उपलब्ध रहेंगे। बिना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां को सूचना दिये अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। किसी विशेष परिस्थितियों में श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां से पूर्व अनुमति लेते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में सुझाव देते हुए, अपना मुख्यालय छोड़ सकेंगे।
2. यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि के पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती दिवस का राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो वही पीठासीन अधिकारी उक्त कार्य करेंगे जो राजकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व निर्धारित दिवस के लिए नियत किए गए थे।
3. उपरोक्त के अलावा संबंधित थानाधिकारी अपने मूल न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, यदि वह अपने मुख्यालय पर मौजूद है, से भी रिमाण्ड आदि ले सकेंगे।

(अनिल पारवानी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां
जिला बारां (राज0)
(अतिरिक्त कार्यभार)

क्रमांक :– 834 दिनांक :– 20.05.2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां
2. श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक, बारां को प्रेषित कर लेख है कि बारां जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र के थानाधिकारियों को आदेश से सूचित करने का श्रम करें।
3. थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली बारां।
4. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय, बारां को बारां न्याय क्षेत्र की Website-baran.dcourt.gov.in पर इस आदेश को अपलोड व बारां न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायालयों में ई–मेल करने हेतु।
5. कार्यालय प्रति।

(अनिल पारवानी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां
जिला बारां (राज0)
(अतिरिक्त कार्यभार)